



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741]
No. 741]नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2007/ज्येष्ठ 30, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2007/JYAISTA 30, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2007

का.आ. 999(अ)—राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता की सीमा के भीतर, स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में अथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लंबाई तक, उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त करता है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई कि.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पुणे, महाराष्ट्र ।	0/0-34/25 कि.मी. (पुणे नगर को वेस्टर्ली बाइपास), 0/00-10/070 (राष्ट्रीय राजमार्ग 4 पर 825/000 से प्रारम्भ से वेस्टर्ली बाइपास के 30 कि.मी. तक), और 592-834 कि.मी.	कुल बाइपास	79
2.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीसी), पुणे, महाराष्ट्र	जवाहर लाल नेहरू पत्तन संपर्क परियोजना [राष्ट्रीय राजमार्ग	4 छ	242
				44.35

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

		4ख से 5/00 कि.मी. (जवाहर लाल नेहरू ट्रस्ट के निकट) से 26.987 कि.मी. से और 00-4/440 और; राष्ट्रीय राजमार्ग 4 से 106/0 कि.मी. से 109/500 कि.मी.] और 0/0 से 17/0 तक। वर्मा जंक्शन से मारमृगांव परत तक (0 कि.मी. से 18.3 कि.मी.)	17ख	18.3
3.	पर्यावरण निदेशक पर्यावरण कार्यान्वयन, इकाई, नासिक, महाराष्ट्र।	वाडपे-गोडे सेक्शन (539/500 कि.मी. से 440.00 कि.मी.)	3	99.5
		भुले पिंपलगांव सेक्शन (380 कि.मी. से 265 कि.मी.)	3	115
		नागपुर-तालेगांव सेक्शन (9,200 कि.मी. से 282.00 कि.मी.)	6	90.8
		अमरावती बाइपास	6	17.42
4.	पर्यावरण निदेशक, पर्यावरण कार्यान्वयन इकाई, नागपुर, महाराष्ट्र।	(नागपुर-हैदरगाबाद सेक्शन) 0-175.6 कि.मी. 652/60 कि.मी. से 729 कि.मी.	7	175.6
			7	76.4

[फा. सं. रा.रा. 11014/13/2007-पी एंड एम]

डा. ओ. तावडे, प्रादेशिक अधिकारी (मुम्बई)

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2007

S.O. 999(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and with the approval of the Central Government, the Highway Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under Sections 24, 25, 26, 27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect of the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highway number	Length in Km.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Project Director, Project Implementation Unit Pune, Maharashtra.	Km. 0/0-34/25; (westerly bypass to Pune City), Km. 0/00-10/070 (stating from km. 825/000 at National Highway 4 to km. 30 of Westerly bypass); and km. 592-834	Bypass Total 4	79 242
2.	Project Director, Project Implementation Unit, (PC), Pune, Maharashtra.	Jawaharlal Nehru Port connectivity project [National Highway 4B from Km. 5/00 (near JNPT) to km. 26/987 and from km. 00-4/440 and; National Highway 4 from km. 106/0-km. 109/500]; and from km. 0/0 to 17/0 of Verma junction to Marmugaon Port (km. 0 to km. 18.3)	4B 17B	44.35 18.3
3.	Project Director, Project Implementation Unit, Nasik, Maharashtra.	Vadpe-Gonde Section (km. 539/500 to km. 440.00) Dhule-Pimpalgaon Section (km. 380 to km. 265) Nagpur-Talegaon Section (km. 9.200 to km. 282.00) Amravati bypass	3 3 6 6	99.5 115 90.8 17.42
4.	Project Director, Project Implementation Unit, Nagpur, Maharashtra.	Km. 0-175.6 (Nagpur—Hyderabad) Section Km. 652/60 to km. 729	7 7	175.6 76.4

[F. No. NH-11014/13/2007-P&M]

D. O. TAWADE, Regional Officer (Mumbai)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2007

का.आ. 1000(अ).—राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तंभ (3) की तत्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता की सीमा के भीतर, स्तंभ (4) की तत्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लम्बाई तक, उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त करता है।

सारणी

क्रम सं.	पर्यावरण निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएँ	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई कि.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पर्यावरण निदेशक, पर्यावरण कार्यान्वयन उच्चार्थ, शिवपुरी, महाराष्ट्र प्रदेश।	0/0 कि.मी. से 80/0 कि.मी. 579 कि.मी. से 610 कि.मी.	25 76	80 31
2.	पर्यावरण निदेशक, पर्यावरण कार्यान्वयन उच्चार्थ, गवालियर, मध्य प्रदेश।	0/0 कि.मी. से 13 कि.मी. 0 कि.मी. से 103 कि.मी.	3 75	113 103
3.	पर्यावरण निदेशक पर्यावरण कार्यान्वयन उच्चार्थ, गगर, मध्य प्रदेश।	132 कि.मी. से 255 कि.मी.	26	123
4.	पर्यावरण निदेशक, पर्यावरण कार्यान्वयन उच्चार्थ, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश।	255 कि.मी. से 405.7 कि.मी.	26	150.70
5.	पर्यावरण निदेशक, पर्यावरण कार्यान्वयन उच्चार्थ, मिठानी, मध्य प्रदेश।	544-729 कि.मी. से नागपुर बाइपास	7 7	185 22
6.	पर्यावरण निदेशक, पर्यावरण कार्यान्वयन उच्चार्थ, इंदौर, मध्य प्रदेश।	इंदौर-धुले सेक्षण (12.6 कि.मी. से (167.5 कि.मी.) और गुना बाइपास (319.700 कि.मी. से 332.100 कि.मी.)	3	169
7.	पर्यावरण निदेशक, पर्यावरण कार्यान्वयन उच्चार्थ, गवपुर, छत्तीसगढ़।	गवपुर-औंग सेक्षण (239.00 कि.मी. से 282.00 कि.मी.) दुर्ग बाइपास	राष्ट्रीय राजमार्ग-6 राष्ट्रीय राजमार्ग-6	43 18

[फा. सं. रा.रा. 11014/12/2007-पी एंड एम]

आई. के. पांडे, प्रादेशिक अधिकारी (भोपाल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2007

S.O. 1000(E). -In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2002) and with the approval of the Central Government, the Highways Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in

column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under Sections 24, 25, 26, 27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highways number	Length in Km.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Project Director, Project Implementation Unit, Shivpuri Madhya Pradesh.	Km. 0/0 to km. 80/0 on km. 579 to km. 610	25 76	80 31
2.	Project Director, Project Implementation Unit, Gwalior, Madhya Pradesh.	km. 0 to km. 113 km. 0 to km. 103	3 75	113 103
3.	Project Director, Project Implementation Unit, Sagar, Madhya Pradesh.	km. 132 to km. 255	26	123
4.	Project Director, Project Implementation Unit, Narsighpur, Madhya Pradesh.	km. 255 to km. 405.7	26	150.70
5.	Project Director, Project Implementation Unit, Seoni, Madhya Pradesh.	km. 544 to 729 on Nagpur Bypass	7 7	185 22
6.	Project Director, Project Implementation Unit, Indore, Madhya Pradesh.	Indore-Dhule Section (km. 12.6 to km. 167.5) and Guna Bypass (km. 319.700 to km. 332.100)	3	169
7.	Project Director, Project Implementation Unit, Raipur, Chhattisgarh.	Raipur—Aurang Section (km. 239.00 NH-6 to km. 282.00) Durg Bypass	NH-6	43 18

[F. No. NH-11014/12/2007-P&M]

I. K. PANDEY, Regional Officer, (Bhopal)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2007

का.आ. 1001(अ)।—राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, नीचे दी गई सारणी

३८३९ ६५/०७-२

के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता की सीमा के द्वारा, स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लंबाई तक, उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का नियंत्रण के लिए नियुक्त करता है।

सारणी

क्रम सं.	परियोजना निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएँ	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई कि.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	परियोजना निदेशक, पारंगाजना कार्यान्वयन इकाई, जम्मू, जम्मू-कश्मीर।	पठान कोट से जम्मू पर पंजाब सीमा सेक्षण तक (16.35 कि.मी. से 97.3 कि.मी.) जम्मू बाइपास (0.0 कि.मी. से 20.4/9.2 कि.मी.) और जम्मू-श्रीनगर सेक्षण जिसके अंतर्गत नागरोदा बाइपास (लंबाई 14.4 कि.मी.) और उधमपुर बाइपास (लंबाई 18.7 कि.मी.) (9.2 कि.मी. से 286 कि.मी. तक) श्रीनगर बाइपास (286.00 कि.मी. से 303.80 कि.मी.)	1क	79.95
2.	परियोजना निदेशक, पारंगाजना कार्यान्वयन इकाई, जलांधर, पंजाब।	जालंधर-पठानकोट-जम्मू-कश्मीर सीमा सेक्षण (4.23 कि.मी. से 117.10/और 3.6 कि.मी. से 16.35 कि.मी.) जालंधर-अमृतसर सेक्षण (387.10 से 407.10 कि.मी.)	1क	125.62
3.	परियोजना निदेशक पारंगाजना कार्यान्वयन इकाई, गढ़नीपत, हरियाणा।	दिल्ली-हरियाणा सेक्षण (8.2 कि.मी. से 96 कि.मी.)	1	87.8
4.	परियोजना निदेशक, झारखण्ड प्रवंधन इकाई, भगलुआ, पंजाब।	हरियाणा-पंजाब सेक्षण (96 कि.मी. से 372.700 कि.मी.)	1	276.700
		जालंधर बाइपास (372/700 कि.मी. से 387/100 कि.मी.)	0	14.4
5.	परियोजना निदेशक, पारंगाजना कार्यान्वयन इकाई, चंडीगढ़।	अंबाला-चंडीगढ़ सेक्षण (0/000 कि.मी. से 0/871 कि.मी.)	21	0.871
		अंबाला-चंडीगढ़ सेक्षण (5/735 कि.मी. से 39/961 कि.मी.)	22	34.226
6.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अमृतसर, पंजाब।	जालंधर-अमृतसर सेक्षण (407/100 कि.मी. 456/100 कि.मी.)	1	49

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गुडगांव, हरियाणा।	दिल्ली-हरियाणा सेक्शन (11/300 कि.मी. से 42 कि.मी.)	8	30.70

[फा. सं. रा.रा. 11014/8/2007-पी एंड एम]

ए. के. नागपाल, प्रादेशिक अधिकारी (चंडीगढ़)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2007

S.O. 1001(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of Section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and with the approval of the Central Government, the Highway Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under Sections 24, 25, 26, 27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect of the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highway number	Length in Km.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Project Director, Project Implementation Unit, Jammu, Jammu and Kashmir.	On Jammu to Pathankot upto Punjab border Section (km. 16.35 to km. 97.3) Jammu bypass (km. 0.0 to km. 20.4/9.2) and Jammu-Srinagar Section including nagreta bypass (length 14.4 km.) and Udhampur bypass (length 18.7 km.) (km. 9.2 to km. 286) Srinagar bypass (km. 286.00 to km. 303.80)	1A	79.95
2.	Project Director, Project Implementation Unit, Jalandhar, Punjab.	Jalandhar-Pathankot—J&K border Section (km. 4.23 to km. 117.10/ and km. 3.6 to km. 16.35) Jalandhar-Amritsar Section (km. 387.10 to km. 407.10)	1A	125.62
3.	Project Director, Project Implementation Unit, Sonepat, Haryana.	Delhi-Haryana Section (km. 8.2 to km. 96)	1	20.0
4.	Project Director, Corridor Management Unit, Ambala, Punjab.	On Haryana-Punjab Section (km. 96 to km. 372.00) Jalandhar bypass (km. 372/700 to km. 387/100)	1	276.700 0 14.4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Project Director, Project Implementation Unit, Chandigarh.	Ambala-Chandigarh Section (km. 0/000 to km. 0/871)	21	0.871
6.	Project Director, Project Implementation Unit, Amritsar, Punjab.	Ambala-Chandigarh Section (km. 5/735 to km. 39/961)	22	34.226
7.	Project Director, Project Implementation Unit, Gurgaon, Haryana.	Delhi-Haryana Section (km. 11/300 to km. 42)	8	30.70

[F. No. NH-11014/8/2007-P&M]

A. K. NAGPAL, Regional Officer, (Chandigarh)